



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 46]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2011/माघ 11, 1932

No. 46]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2011/MAGHA 11, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 56(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह 'ग' अनुसचिवीय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

38

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	2338* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(8)			(9)		(10)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(11)			(12)			
(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। (ii) पचीस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।			ऐसे हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) में से प्रोन्नति जो चिकित्सीय प्रवर्ग श्रेणी 1 के अध्यक्ष रहते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है।			
			टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।			
			टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।			

(12)

विभागीय परीक्षा : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड-1. 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2400 रु. में हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. दो कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)	188* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)।

टिपणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न, कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश, के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 + 2 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(2) कुशल परीक्षण		
(क) श्रुतलेख : दस मिनट में अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति		
(ख) अनुवाद : अंग्रेजी के लिए पचास मिनट और हिन्दी के लिए पैंसठ मिनट		
(कुशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर संचालन किया जाएगा)		
(3) शारीरिक और चिकित्सीय मानकों के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे :-		
(क) शारीरिक मानक :		
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :-		
(i) ऊँचाई : साधारण/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, 162.5 सें.मी. ।		
(ii) छाती : बिना फुलाए-77 सें.मी.		
फुलाकर-82 सें.मी.		
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, बिना फुलाए-76 सें.मी. और फुलाकर 81 सें.मी. ।		
(iii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊँचाई और आयु के आनुपातिक ।		
महिला अभ्यर्थियों के लिए :-		
(i) ऊँचाई : साधारण/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के लिए जिसके अंतर्गत गोरखा/गढ़वाली/कुमाउंजी/डोगरा और मराठा भी हैं, 155 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी 4 हैं, 154 सें.मी. ।		
(ii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊँचाई और आयु के आनुपातिक ।		
(ख) दृश्य मानक :		
पुरुष और महिला दोनों के लिए दृश्य मानक दाहिनी आंख 6/6 और बाईं आंख 6/12 या चस्मा के बिना दोनों आंख 6/9		
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	
(13)	(14)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता ।	
1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—अध्यक्ष	
2. दो कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय)	2159* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 2400 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(ii) कुशल परीक्षण		
(क) अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम पैंतीस शब्द प्रति मिनट की गति		
(ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम तीस शब्द प्रति मिनट की गति		
टिप्पण :-		
(1) अनुज्ञान समय दस मिनट होगा		
(2) अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच की डिप्रेशन के साथ अंग्रेजी में प्रति घंटा 10500 की डिप्रेशन या हिन्दी में प्रति घंटा 9000 की डिप्रेशन के समरूप हो।		
(3) कुशल परीक्षण केवल कम्प्युटर पर होगा।		

(8)

(iii) शारीरिक और चिकित्सीय मानकों के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे :-

(क) शारीरिक मानक :

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :-

(i) ऊंचाई : साधारण/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, 162.5 सें.मी. ।

(ii) छाती : बिना फुलाए-77 सें.मी.

फुलाकर-82 सें.मी.

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, बिना फुलाए-76 सें.मी. सें.मी. ।

(iii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

महिला अभ्यर्थियों के लिए :-

(i) ऊंचाई : साधारण/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के लिए जिसके अंतर्गत गोरखा/गढ़वाली/कुमाउंजी/डोगरा और मराठा भी हैं, 155 सें.मी. और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के आदिवासी अभ्यर्थी भी हैं, 154.3.74. ।

(ii) वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

(ख) दृश्य मानक :

पुरुष और महिला दोनों के लिए दृश्य मानक दाहिनी आंख 6/6 और बाईं आंख 6/12 या चश्मा के बिना दोनों आंख 6/9

(11)

(12)

(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

(ii) तीस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे अधिकारी जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुजिस बल के कांस्टेबल की क्षेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है (सभी प्रवर्ग जिसके अंतर्गत ट्रेड्समैन/तकनीकी/अनुसूचित भी हैं) जिनकी आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक न हो (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पचास वर्ष) तथा जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य विहित अर्हताएँ हैं, में से विभागीय परीक्षा द्वारा ।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता ।

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. दो कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. हैड कांस्टेबल (गेस्टेनर प्रचालक)	I* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसूचित)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 &)+ ग्रेड वेतन 2400 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

चिकित्सीय प्रवर्ग श्रेणी-1 में ऐसे कांस्टेबल (दफ्तरी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास गेस्टेटर मशीनों के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता है।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी गेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
------	------

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक या कमांडेंट —सदस्य
3. संयुक्त सहायक निदेशक या उप-कमांडेंट —सदस्य

[म. सं. आर. IX-3/2010-मंत्रा./सी.आर.पी.एफ.-कार्मिक II]

बरून कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2011

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' Ministerial posts, in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (Combatised Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, **etc.**—The method of **recruitment**, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications. —No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall **be eligible** for appointment to the said post :

Provided that the **Central** Government may, if satisfied that such marriage is **permissible** under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. —Where the Central Government is **of the** opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes. Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Centrl Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Sub-Inspector (Ministerial)	2338* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial)	Pay Band-1, (Rs. 5200-20200)+ Grade Pay Rs. 2800	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation , if any		
(8)		(9)		(10)		
Not applicable		Not applicable		Not applicable		
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
(11)			(12)			
(i) Seventy-five per cent by promotion. (ii) Twenty-five per cent by departmental examination failing which by promotion.			Promotion from amongst Head Constable (Ministerial) who have rendered not less than five years regular service in the grade in the Central Reserve Police Force subject to medical category SHAPE-1.			
			Note 1 : For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay			

(12)

structure based on the six Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors should also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Departmental Examination:— Officers of the Central Reserve Police Force having three years of regular service in the post of Head Constable (Ministerial) in the Pay Band-I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of:—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force —Chairman
2. Two Commandants, Central Reserve Police Force —Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Sub-Inspector (Steno)	188* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 28400	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,

(46)

(7)

Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
<p>(1) Pass in 10+2 or equivalent examination from a recognised Board or University ;</p> <p>(2) Skill test :</p> <p>(a) Dictation : For ten minutes at eighty words per minute.</p> <p>(b) Translation : Fifty minutes for English and sixty five minutes for Hindi.</p> <p>(Skill test shall be conducted on computer only)</p> <p>(3) Physical and medical standards as per details below :—</p> <p>(A) Physical Standard :</p> <p>For male candidates:—</p> <p>(i) Height: 165 cms for General/Other Backward Class/Scheduled Caste candidates and 162.5 cms for Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all States/Union territory.</p> <p>(ii) Chest: Unexpanded—77 cms.</p> <p>Expanded—82 cms</p> <p>For Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all States/Union Territories Unexpanded—76 cms and 81 cms expanded.</p> <p>(iii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard.</p> <p>For female candidates :—</p> <p>(i) Height: 155 cms for General/Other Backward Class/ Scheduled Caste including Gorkhas / Garhwalies / Kumaonese/Dogras and Marathas and 154 cms for Scheduled Tribe candidates including Adivasi candidates of all States/Union Territories.</p> <p>(ii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard</p> <p>(B) Visual Standard :</p> <p>Visual standard both for male and female should be 6/16 right eye and 6/12 left eye or 6/19 both eyes without optical device.</p>	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment.	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.

1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve —Chairman
Police Force Bal
2. Two Commandants, Central Reserve Police Force —Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Head Constable (Ministerial)	2159* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

48

(8)	(9)	(10)
(i) Pass in 10+2 or equivalent examination from a recognised Board or University ; (ii) Skill Test : (a) English Typing with minimum speed of thirty five words per minute. (b) Hindi Typing with minimum speed of thirty words per minute.	Not applicable	Two years
Notes. —		
(1) Time allowed shall be ten minutes.		
(2) Thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi shall correspond to 10500 Key Depression per Hours in English or 9000 Key Depression per Hours in Hindi with an average of five key depressions for each word.		
(3) Skill test shall be conducted on computer only.		
(iii) Physical and medical standards as per details below :—		
(A) Physical Standard :		
For male candidates :		
(i) Height: 165 cms for General/Other Backward Class/Scheduled Caste candidates and 162.5 cms for Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all States/Union Territory .		
(ii) Chest : Unexpanded—77 cms .		
Expanded—82 cms		
For Scheduled Tribe candidates including Adivasis of all States I Union territory Unexpanded—76 cms and 81 cms expanded.		
(iii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard.		
For female candidates :—		
(i) Height: 155 cms for General/Other Backward Class/Scheduled Caste including Gorkhas/Garhwalies/Kumaonese/Dogras and Marathas and 154 cms for Scheduled Tribe candidates including Adivasi of all States/ Union Territory .		
(ii) Weight: Proportionate to height and age as per medical standard.		
(B) Visual Standard :		
Visual standard both for male and female should be 6/6 right eye and 6/12 left eye or 6/9 both eyes without optical device.		
(11)	(12)	
(i) Seventy per cent by direct recruitment. (ii) Thirty per cent by departmental examination failing which by direct recruitment.	Departmental examination from amongst officers of Central Reserve Police Force having three years regular service in the grade of Constables (all categories including tradesman/technician/ministerial of Central Reserve Police Force of not more than forty-five years of age (fifty years for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes) and possessing educational and other prescribed qualifications for the direct recruits under column 8.	
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force — Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force — Members		Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Head constable (Gestemer Operator)	1* (2010) 'Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 2400	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
------	------

By promotion.

Promotion : From amongst Constables (**Daftry**) in Medical category Shape-I with five years regular service in the grade and having proficiency in operating and maintaining Gestetner Machines.

Note 1 : For the purpose of computing the **minimum qualifying** service for promotion, the service rendered on a regular basis by an **officer** prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been **extended**, shall be **deemed to be** service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 2 : Where juniors who have **completed their qualifying** or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the **requisite qualifying or eligibility** service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
------	------

Croup '**C**' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force — Chairman
2. Assistant Director or Commandant — Member
3. Joint Director or Deputy Commandant — Member

[I. No. K. IX-3/2011-Min./CRPF/Pers-II]
 RARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2011/ज्येष्ठ 19, 1933

No. 307]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2011/JYAISTHA 19, 1933

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th June, 2011

G.S.R. 443(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 56(E), dated the 27th January, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st January, 2011,—

(a) on page 9,—

- (i) against the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial), in column (12), in Note 2, for "should", read "shall";
- (i) against the post of Assistant Sub-Inspector (Steno),—
 - (A) in column (4), for "Rs. 28400", read "Rs. 2800/-";
 - (B) in column (7), for "18 an 25 years", read "18 and 25 years";
- (b) on page 11; in column (13), in item 1, for "Central Reserve Police Force Bal", read "Central Reserve Police Force";
- (c) on page 13, against the post of Head Constable (Gestetner Operator), in column 13, in item 3, for "Joint Director", read "Joint Assistant Director".

[F. No. R. IX-3/2011-Min./CRPF/Pers-II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2010/कार्तिक 7, 1932

No. 604]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2010/KARTIKA 7, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2010

सा.का.नि. 868(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2003 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (अनुसचिवीय) तथा सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उसका संबंध उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय), और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	1970* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड - 2 9300 - 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)	(14)
ऐसे सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने चिकित्सीय प्रवर्ग शोप-1 के अध्यधीन रहते हुए, उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. दो कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - 1 और 2	लागू नहीं होता

टिप्पण :- तारीख 25 सितम्बर, 2003 तक सीधे नियुक्त उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) उसी पद पर लगातार कार्य करते रहेंगे और सा.क.नि. संख्या 192 तारीख 14/03/1989 द्वारा अधिसूचित भर्ती नियम के अनुसार आशुलिपिक और अनुसचिवीय प्रवर्ग अपने-अपने उत्क्रम में उपलब्ध थे, प्रोन्नति अवसरों का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अतः सा.क.नि. संख्या 192 तारीख 14/03/1989 द्वारा जारी भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) पदों के लिए विहित कोटा को भरने के लिए आयोजित किए जाने वाले उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) विभागीय परीक्षा में तारीख 25 सितम्बर, 2003 तक सीधे नियुक्त पात्र और इच्छुक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) नियमित रूप से शामिल होते रहेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निरीक्षक (अनुसचिवीय)	588* (2010) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड - 2 9300 - 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
<p>ऐसे उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष तक नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):-</p> <p>1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष</p> <p>2. दो कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - 1 और 2</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय)	196* (2010) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड - 2 9300 - 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4800 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
<p>ऐसे उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष तक नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):-</p> <p>1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष</p> <p>2. दो कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - 1 और 2</p>	लागू नहीं होता

[फा. सं. आर-IX-1/2010-मंत्रा./के.रि.पु.बल/कार्मिक-2]

बरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME & FAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

G.S.R. 868(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised (Group 'C' and 'D' posts), Recruitment Rules, 2003, and the Central Reserve Police Force Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2007, in so far as it relates to the post of Sub-Inspector (Ministerial), except as respect things done or omitted to be done before such supersessions, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial), in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.** - The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
4. **Disqualification**- No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to the said posts :
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

42226 UH/10-2

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Sub-Inspector (Ministerial)	1970* (2010) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 9300-34800 plus Rs. 4200/- Grade pay	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years'	By promotion.	Assistant Sub-Inspector (Ministerial) with six years of regular service in the grade subject to medical category SHAPE-1. Note : Where juniors who have completed their qualifying I eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying I eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) - 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force-Members : I and II	Not applicable

Note :-

Sub Inspector (Steno) and Asst. Sub Inspector (Ministerial) appointed directly upto 25th September, 2003 will continue to work in the same level and enjoy the same promotional avenues as were available in the hierarchy of the Stenographic and Ministerial Cadre respectively as per recruitment rules notified vide GSR No-192 dated 14/03/1989. Thus the eligible and willing Sub Inspector (Steno) and Asst. Sub Inspector (Ministerial) appointed directly upto 25th September, 2003 will continue to appear in the Sub Inspector (Min.) departmental examination to be conducted every year for filling up the prescribed quota for the post of Sub Inspector (Min) as per recruitment Rules issued vide GSR No-192 dated 14/03/1989.

[PART II - Rule 3(A)]

श्री श्री श्री : श्री श्री श्री

34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Inspector (Ministerial)	588* (2010) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 9300 – 34800 plus Rs. 4600/- Grade pay	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	Sub-Inspector (Ministerial) with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Deputy Inspector General of Police Central Reserve Police Force – Chairman. 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Members – I and II	No Applicable.

35



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2011/ज्येष्ठ 19, 1933

No. 307]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2011/JYAISTHA 19, 1933

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th June, 2011

G.S.R. 443(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 56(E), dated the 27th January, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st January, 2011,—

(a) on page 9,—

- (i) against the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial), in column (12), in Note 2, for “should”, read “shall”;
- (ii) against the post of Assistant Sub-Inspector (Steno),—
 - (A) in column (4), for “Rs. 28400”, read “Rs. 2800/-”;
 - (B) in column (7), for “18 an 25 years”, read “18 and 25 years”;
- (b) on page 11, in column (13), in item 1, for “Central Reserve Police Force Bal”, read “Central Reserve Police Force”;
- (c) on page 13, against the post of Head Constable (Gestetner Operator), in column 13, in item 3, for “Joint Director”, read “Joint Assistant Director”.

[F. No. R. IX-3/2011-Min./CRPF/Pers-II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers)